17/10/17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाता है राजीनामा के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर क्रम से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17/X/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर प्रथम

पीठासीन अधिकारी: राधिका देवी आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 66/2016

1– सावर मल पुत्र श्री नाथूमल स्वामी आयु– 65 वर्ष,,

2– निशिता स्वामी पुत्री श्री सांवर मल आयु–25 वर्ष,
जाति स्वामी निवासीगण मैसर्स हनुमान मन्दिर, लतिका सिनेमा के पास, एम.जी.रोड, ढीफू, कर्वी एंगलोंग, आसाम 782460

3– रामकुमार स्वामी पुत्र श्री कानदास स्वामी आयु– 70 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी– ग्राम दौतलपुरा पो. चुडेला, तहसील व जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

4– दिनेश कुमार बागडा पुत्र स्व. प्रभूनारायण बागडा, उम्र 49 वर्ष, जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी प्लाट नम्बर 4 कनकपुरा बस स्टेण्ड, प्रधान नगर, सिरसी रोड़, जयपुर

––वादीगण

बनाम

1– जगदीश पुत्र श्री नारायण

2– श्रीमती सूजा बेवा श्री नारायण

3– हनुमान पुत्र श्री नारायण

4– पप्पू पुत्र श्री नारायण

5– कन्हैयालाल पुत्र श्री नारायण

6– नाथू पुत्र महादेव
समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासीगण भंभौरी तहसील व जिला जयपुर

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर तहसील, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित–
वादी अधिवक्ता– रामचन्द्र शर्मा एडवोकेट
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 –जगदीश सैनी

निर्णय दिनांक 17–10–2017

वादी संख्या 1 से 3 के द्वारा उक्त उनवानी वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया दौराने वाद विचारण वादी संख्या 1 लगाय

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

के द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया, वादी संख्या 4 को आदेश 22 नियम 10 सी. पी.सी. के तहत वादी संख्या 1 लगायत 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया गया तत्पश्चात वादी संख्या 4 की ओर से संशोधित वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भंभौरी तहसील व जिला जयपुर में आराजी खसरा नं. 751 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा स्थित है, जिसमें वादी संख्या 4 का 830/2490 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 415/2490 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वादी संख्या 4 को उसके उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से की खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने में आये दिन परेशान करते हैं तथा सीमा के विवाद को लेकर आये दिन लड़ाई–झगड़ा करते हैं। वादी संख्या 4 ने प्रतिवादीगण को कई बार भौतिक रूप से विभाजन करने के लिये कहा। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 विभाजन करना नहीं चाहते है तथा जबरन वादी संख्या 4 के हक व हिस्से की भूमि पर कब्जा कर वादी संख्या 4 को नाजायज रूप से परेशान करना चाहते हैं। वादी संख्या 4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज चला आ रहा है, तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। वादी संख्या 4 अपने हक व हिस्से की भूमि का अपने कब्जे के अनुसार विभाजन करवाने का हकदार है। वादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध इस आशय की विभाजन डिक्री प्राप्त करने की हकदार है कि वाद पत्र मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी आराजी खसरा नं. 751 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा स्थित है, जिसमें वादी संख्या 4 का 830/2490 हिस्सा ग्राम भंभौरी तहसील व जिला जयपुर जिस पर वादी संख्या 4 काबिज है, कब्जे के अनुसार विभाजन किया जावे तथा वादी संख्या 4 के हक व हिस्से की भूमि का अलग से खाता एवं लगान कायम किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से भूमि के विशिष्ठ भाग को दर्शित करते हुऐ अपना कब्जा होना जाहिर किया।

सहायक कलेक्टर एवम
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जामडोली, जयपुर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

तथा वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने के तथ्य से इन्कार किया । प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से यह भी कथन किया कि वादीगण ने मिथ्या व षडयन्त्रकारी मानसिकता के तहत अपना कब्जा होना अंकित किया है जबकि उक्त भूमि पर मिन प्रतिवादीगण का चिरस्थाई कब्जा है। वादीगण का कब्जा नही होने से कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाकर जवाब वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये नक्शें में मार्क क से चिन्हित की गई भूमि को आधिपत्य के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हक मे विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का अनुतोष चाहा गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्व संलग्न नक्शे में मार्क क से चिन्हित भाग के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुऐ विशिष्ठ रूप से कथन किया गया कि जवाब वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शित की गई भूमि के विशिष्ठ भाग पर अपना कब्जा एवं आधिपत्य व स्वामित्व होना अंकित किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा वादी संख्या 1 ता 3 के विक्रय पत्र को शून्य विक्रय पत्र होना उल्लेखित किया गया तथा मौके पर कोई कब्जा होना नही जाहिर किया गया तथा काउन्टर क्लेम करते हुऐ अनुतोष चाहा गया कि विक्रय पत्र दिनांक 8–8–2012 एवं नामान्तकरण संख्या 1256 दिनांक 14–5–2015 को प्रतिवादी संख्या 6 के मुकाबले प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा में से 400/2490 एवं 430/2490 हिस्से को सम्मिलित करते हुऐ वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा, तथा 1/2 हिस्से की भूमि के संबंध में कब्जे काश्त में बाधा कारित नही किये जाने, विक्रय, दान ,वसीयत, व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही किये जाने का वादीगण के विरूद्व अनुतोष चाहा गया।

दौराने दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य समझौता हो गया तथा दोनो पक्षो में एक समझौता पत्र मय राजीनामा प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किया जिसमें अपनी आपसी सहमति एवं रजामन्दी से वादग्रस्त भूमि के

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 751 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा का नक्शा प्रस्तुत करते हुऐ अलग अलग रंग दर्शित करते हऐ वादी संख्या 4 का कुल भूमि में 1/3 हिस्सा अर्थात रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा होना जाहिर किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा होना जाहिर किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा होना जाहिर किया गया तथा सहमति पत्र में सभी पक्षकारो ने सहमति पत्र के साथ संलग्न नक्शें में वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 का जो विभाजन दर्शित किया गया है उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में तथा नक्शा ट्रेस में विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया ।

वादीगण के द्वारा दौराने बहस जाहिर किया कि खसरा नम्बर 751 है जिसका रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा है। खसरा नम्बर 751 राजीनामा मय सहमति पत्र के साथ संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शित भाग प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से में रखा गया, उसके पश्चात पूर्व की ओर नक्शे में हरे रंग से दर्शित भाग प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से में रखा गया। इसी प्रकार पूर्व की ओर का भाग सहमति पत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शित किया गया है जिसका रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा होना जाहिर किया गया। यह हिस्सा वादी सं0 4 के हिस्से में रखा गया है। सभी खातेदारों ने सहमति पत्र एवं नक्शा ट्रेस पर अपने हस्ताक्षर करते हुऐ सहमति जाहिर की तथा न्यायालय के समक्ष राजीनामा के अनुरूप अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन चाहा गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद के साथ अपनी जमाबन्दी प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन किये जाने पर जाहिर हुआ कि खसरा नम्बर 751 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा दर्शित किया हुआ है लेकिन उक्त खसरा नम्बर में शामिल खसरा नम्बर के रकबे में शामिल खसरा नम्बर 756 भी दर्शित किया हुआ है वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये नक्शे में भी 751 एवं 756 दर्शित किया हुआ है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा मय पत्र दिनांक 24–8–2017 जिस पर सभी पक्षकारो ने सहमति जाहिर करते

सहायक कलेक्टर एवम
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

हुए संलग्न नक्शे में अपने हिस्से दर्शित करते हुऐ अपनी सहमति के अनुरूप ही विभाजन चाहा।

वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त विभाजन के वाद में आपसी सहमति हो जाने से प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने की बजाय सीधे ही अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया तथा जाहिर किया गया कि वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादीगण के द्वारा नक्शा ट्रेस एवं कम्प्यूटराईज्ड नक्शे में अपने हिस्से अनुरूप प्राप्त रकबे का विभाजन किया जाकर प्रस्तुत किया गया है तथा अपना अपना रकबा भी अलग अलग दर्शित किया गया है तथा न्यायालय से निवेदन किया गया कि विभाजित खसरा नम्बरो के अन्तिम डिक्री में ही बटे् नम्बर दर्शित करते हुऐ अन्तिम डिक्री पारित की जावे।

अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर वादी सं0 4 का वाद बाबत विभाजन उपरोक्तानुसार डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार जयपुर को आदेश दिया जाता है कि वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई सहमति मय नक्शा के अनुरूप खसरा नम्बर 751 ग्राम भंभौरी तहसील जयपुर का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विभाजन किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावे नियमानुसार लगान निर्धारित किया जावे तथा नक्शे में संलग्न नक्शें के अनुरूप तरमीम की जावे। तहसीलदार जयपुर को निर्णय के अनुपालना हेतु सहमति पत्र एवं संलग्न नक्शा मय तहरीर जारी की जावे ।

17/10/17

सहायक कलेक्टर एवम्
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिकी मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम मुकाम जयपुर

ब इजलास सुश्री राधिका देवी, आर.ए.एस.

मुकद्दमा नं. 66/2016

1- सांवर मल पुत्र श्री नाथूमल स्वामी आयु- 65 वर्ष,

2- निशिता स्वामी पुत्री श्री सांवर मल आयु-25 वर्ष,

जाति स्वामी निवासीगण मैसर्स हनुमान मन्दिर, लतिका सिनेमा के पास, एम.जी.रोड, ढीफू, कर्वी एंगलोंग, आसाम 782460

3- रामकुमार स्वामी पुत्र श्री कानदास स्वामी आयु- 70 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी- ग्राम दौतलपुरा पो. चुडेला, तहसील व जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

4- दिनेश कुमार बागडा पुत्र स्व. प्रभूनारायण बागडा, उम्र 49 वर्ष, जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी प्लाट नम्बर 4 कनकपुरा बस स्टेण्ड, प्रधान नगर, सिरसी रोड़, जयपुर

...वादीगण

बनाम

1- जगदीश पुत्र श्री नारायण

2- श्रीमती सूजा बेवा श्री नारायण

3- हनुमान पुत्र श्री नारायण

4- पप्पू पुत्र श्री नारायण

5- कन्हैयालाल पुत्र श्री नारायण

6- नाथू पुत्र महादेव

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासीगण भंभौरी तहसील व जिला जयपुर

7- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर तहसील, जिला जयपुर।

..... प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजीयात (कृषि भूमि)स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह **मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू राधिका देवी सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम व हाजिर मिनजामिन मुद्दई रूबरू मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि** पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर वादी सं0 4 का वाद बाबत विभाजन उपरोक्तानुसार डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार जयपुर को आदेश दिया जाता है कि वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई सहमति मय नक्शा के अनुरूप खसरा नम्बर 751 ग्राम भंभौरी तहसील जयपुर का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विभाजन किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावे नियमानुसार लगान निर्धारित किया जावे तथा नक्शे में संलग्न नक्शें के अनुरूप तरमीम की जावे। तहसीलदार जयपुर को निर्णय के अनुपालना हेतु सहमति पत्र एवं संलग्न नक्शा मय तहरीर जारी की जावे ।

सहायक कलेक्टर एवम
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (प्रथम)

बाबत ....

निजी ....../...... **मबलिक** ..../...... फीसदी सालाना आज की ....

खर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगैरह ..../...... **को अदा करें।**

तारीख वसूलियत तक ..../......

Scanned by CamScanner

वसूलियाव तक ..../...................... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज 17 तारीख माह अक्टूबर सन् 2017 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

ओहदा सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि. उदयपुर शहर (प्र...)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा.		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो

Scanned by CamScanner